न्यायालयः सिविल जज (जू0डि0), कालपी, जनपद जालौन।

मूलवाद सं0 12/2015

राजेन्द्र बहादुर बनाम नगर पंचायत कदौरा आदि।

दिनांक–12.04.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्ताव एवं प्रतिवदी सं0 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री बृजभूषण श्रीवास्तव एवं प्रतिवादी सं0–3 के विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री कर्मक्षेत्र अवस्स्थी उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र 6ग2 एवं आपत्ति 33ग2 पर सुना गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नक्शा वादपत्र में वर्णित विवादित स्थल गाटा सं0 279 रकवा 0.64 हे0 पर अमीन आख्या कागज सं0 43ग1के प्रकाश में यथास्थित बनाये रखने हेतु याचना की गयी। पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी 12ग1, खसरा 13ग1, फोटो चित्र 49ग1, एवं प्रतिवादी की आपत्ति 33ग2 के पैरा 3 एवं अमीन आख्या कागज सं0 43ग2 के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित स्थल पर वादी कब्जे में है। उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्र में विवादित स्थल पर अमीन आख्या के प्रकाश में यथास्थित बनाये रखने हेतु सहमति का पृष्ठांकन किया गया। मामले की तथ्य एवं परिस्थितियों में विवादित स्थल पर यथास्थित का आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

वादी एवं प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि दौरान वाद वह विवादित स्थल पर अमीन आख्या कागज सं0 43ग1 के प्रकाश में यथास्थिति बनाये रखेगें। चूंकि विवादित स्थल पर वादी का कब्जा है। अतः प्रतिवादीगण वादी के कब्जे में दौरान वाद कोई हस्तक्षेप नहीं करेगें। वादी को आदेशित किया जाता है कि वह दौरान विवादित स्थल पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं करेगा। तदनुसार प्रार्थनापत्र 6ग2 एवं आपत्ति 33ग2 निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते वाद बिन्दु विरचन दिनांक 11.07.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0), कालपी,